न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 31 / 2024 तारीख रजू :- 26.2.2024

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/52

अतरसिंह पुत्र गिर्राजसिंह जाति जाट निवासी सोमली, तहसील सूरौठ हाल निवासी आदर्श नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

——वादी

बनाम

जीतेन्द्र पुत्र साहबसिंह जाति जाट निवासी सोमली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

——प्रतिवादीगण—10

दिनांक	फर्द अहकाम	
26.2.2024	यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.03.2024 को पेश हो। (सुखाराम पिण्डेल) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
22/3/24	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-5-24 को पेश हो।	
2/5/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने अवगत कराया कि वादीगण आगे नहीं चलना चाहते है। वादी व वादी वकील ने प्रकरण मेरिट्स में खारिज कराना चाहा है। अतः मु.न. 31/24 दावा अतरसिंह बनाम जीतेन्द्र मेरिट्स में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।	

Not Press

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:23:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner